

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 16.05.17

संख्या-12/प्रो-12006/11-सा0प्रो- 5832/विभागीय अधिसूचना सं0-9596 दिनांक 11.07.2016 के द्वारा स्थानापन्न रूप से उप सचिव एवं समकक्ष स्तर में प्रोन्नत बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं0 4800 दिनांक 01.04.2016 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13298 दिनांक 28.09.2016 के आलोक में उप सचिव एवं समकक्ष स्तर के पे बैंड-3 रू0 15600-39100 + ग्रेड पे-रू0 6600/- में औपबधिक रूप से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती है:-

क्रम सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3
1	श्री मुकुल कुमार, 875/11, कटिहार	विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना ।
2	श्रीमती मीना कुमारी, 876/11, सारण	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना ।
3	श्रीमती कुमारी सीमा, 877/11, पूर्णियाँ	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सदर ।
4	डॉ० महेन्द्र पाल, 878/11, भोजपुर	आप्त सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
5	श्री रशीद कलीम अंसारी, 879/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल ।
6	मो० तारिक, 884/11, बेगूसराय	सहायक निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
7	श्री दिनेश कुमार, 885/11, पटना	जिला भू अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया ।
8	श्रीमती प्रतिभा कुमारी, 886/11, भागलपुर	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर एवं निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार ।
9	श्री विवेक कुमार, 898/11, जहानाबाद	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोपालगंज ।
10	श्री राम कुमार पोद्दार, 900/11, पूर्णियाँ	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार एवं निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार ।
11	श्री सुनील कुमार पांडेय, 901/11, सिवान	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण, छपरा एवं निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम का अतिरिक्त प्रभार ।

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी०(सी) सं०-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी ।

3. उपर्युक्त क्रमांक 1, 3, 4 एवं 5 पर अंकित पदाधिकारी के द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिए उप सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्कर्मित करते हुए उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प्रो-12006/11-सा0प्रो- 5832 /पटना, दिनांक-

16.05.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/08/17

सरकार के संयुक्त सचिव